



मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

न्यू ब्रायलर भवन, मेन रोड न. - 3, कोटरा सुल्तानाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष (0755) 2776086 (कार्यालय), फ़ैक्स (0755) 2776086

mplpdcopl@rediffmail

कमांक 4143/सूकर मांस पार्लर./2022-23

भोपाल,दिनांक 09/01/2023

सूकर मांस (पोर्क) पार्लर को मासिक किराये  
पर देने हेतु निविदा (द्वितीय आमंत्रण)

प्रकाशन दिनांक

11.01.2023

म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,भोपाल

-: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी:-

क.	विवरण	दिनांक/समय
1	निविदा प्रपत्र कय हेतु दिनांक	11.01.2023/11:00
2	निविदा प्रपत्र कय हेतु अंतिम दिनांक	20.01.2023/17:30
3	निविदा प्रपत्र जमा करने हेतु अंतिम कय हेतु दिनांक	23.01.2023/12:00
4	निविदा खोलने जाने की दिनांक	23.01.2023/3:00

- निविदा खोलने का स्थान - म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,भोपाल (म.प्र.)
- निविदा प्रपत्र की कीमत - रुपये 5,00/- (रुपये पांच सौ मात्र)  
(वापसी योग्य नहीं)
- अमानत राशि - रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, के पक्ष में भोपाल को देय हो एवं मूल बैंक ड्राफ्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।  
(एफ डी आर मान्य नहीं होगा)


नोट- निविदा अस्वीकृत होने पर अमानत राशि, आवेदन पत्र जमा रसीद की मूलप्रति के साथ प्राप्त होने पर 30 दिनों के अंदर वापस की जा सकेंगी।

नोट- निविदा प्रपत्र में पेजों की कुल संख्या -

आवश्यक दस्तावेज -

12. प्रपत्र-1 : संबंधी जानकारी।
13. प्रपत्र-2 : अनुबंध प्रपत्र - नियम एवं शर्तें।
14. प्रपत्र-3 : निर्धारित मानक एवं दरें।
15. अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट नं. .... दिनांक ..... के द्वारा जो प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,भोपाल के नाम से देय हो। अथवा नगद राशि रु. 25,000/- एम.आर. क्रमांक ..... दिनांक
16. ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र

(निविदा के साथ जमा प्रपत्रों पर क्रमांक अंकित कर अनुसूची संलग्न करें।)

  
प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,भोपाल

## मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

-: अनुबंध-नियम एवं शर्तें :-

प्रपत्र-2

1. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे एवं दरें अंकों के साथ-साथ अक्षरों में भी भरी जावे।
2. निविदाकर्ता द्वारा पता परिवर्तन की सूचना तत्काल निगम कार्यालय को दी जावे।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,भोपाल के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन उपरान्त तथा निगम कार्यालय के आदेश के पश्चात अनुमोदित दर पर पार्लर का संचालन किया जावेगा।
4. अमानत (प्रतिभूति) राशि रु. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) डी.डी. अथवा नगद के माध्यम से जमा कराना होगी तथा इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. पार्लर का न्यूनतम मासिक किराया रु. 2500/- निर्धारित है।
6. सूकर पालन का अनुभव होना आवश्यक है। साथ ही उन्हें सूकर के स्लाटरिंग का किसी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. पार्लर के आवंटन में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
8. अनुबंध 1,000/- रु. के नाम ज्युडिसियल स्टाम्प पर किया जावेगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्रबंध संचालक,द्वारा उन्ही दरों एवं शर्तों पर एक वर्ष की अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। (अनुबंध पत्र का प्रारूप कार्यालय समय में देखा जा सकता है)
9. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,भोपाल को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
10. सूकर मास (पोर्क) की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं की जावेगी। यदि मास के विक्रय में गुणवत्ता का प्रश्न उठता है तो उसके लिये स्वयं वे उत्तरदायी होंगे।
11. समस्त अदालती विवाद माननीय न्यायालय भोपाल के क्षेत्राधिकार में होंगे।
12. पार्लर किराये के अतिरिक्त,शासकीय कर पृथक से देय होगा।

V3h

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

1. निविदाकर्ता का नाम :

एवं पता

2. टेलीफोन/मोबाइल नं :

कार्यालय .....

3. ई-मेल आई. डी. :

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं सील

नाम .....

पदनाम .....

निर्धारित मानकों का विवरण एवं दरें

दरें ( रूपये में ) इस प्रपत्र में दी जाना है -

क्रं.	विवरण	समयावधि	दरें ( रूपये में )	रिमार्क
1	सूकर मास (पोर्क) पार्लर मासिक दर पर किराया	न्यूनतम एक वर्ष		

नोट - दरों का अनुमोदन, गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के परिक्षण उपरांत अनुशंसा अनुसार प्रबंध संचालक के द्वारा किया जावेगा।

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं सील

नाम .....

पदनाम.....